



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082025-265680
CG-DL-E-25082025-265680

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3767]
No. 3767]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 25, 2025/भाद्र 3, 1947
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 25, 2025/BHADRA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2025

का.आ. 3872(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3783 तारीख 03/09/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में - 346 के कि.मी. 75.500 से कि.मी. 77.500, तहसील कुरवाई तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "25/09/2024" को "राज एक्सप्रेस" और "फ्री प्रेस" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के विदिशा जिले में - 346 के कि.मी. 75.500 से कि.मी.77.500 तहसील-कुरवाई के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: विदिशा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कुरवाई					
गांव का नाम: रेंहकलां					
1	19/2	निजी	सिंचित	0.015	बलवंतसिंह पुत्र हरिराम
2	73/2	निजी	सिंचित	0.418	कुन्दनसिंह पुत्र भवरसिंह
3	73/3	निजी	सिंचित	0.514	हरनामसिंह पुत्र भमरसिंह
4	73/4	निजी	सिंचित	0.575	कल्यानसिंह पुत्र हीरालाल
5	74/2	निजी	सिंचित	0.05	कुन्दनसिंह पुत्र भवरसिंह
गांव का नाम: मेहलुआ					
6	380	सरकारी	चारागाह	0.031	शासकीय मध्य प्रदेश शासन
7	382	सरकारी	खन्ती	0.126	शासकीय मध्य प्रदेश शासन

8	383	सरकारी	सड़क	0.09	शासकीय मध्य प्रदेश शासन
9	384	सरकारी	खन्ती	0.11	शासकीय मध्य प्रदेश शासन
10	385/1	निजी	सिंचित	0.021	राजू पुत्र दिमान, लेखराज नाबालिग पुत्र दिमान, नेतराम नाबालिग पुत्र दिमान, प्रीति नाबालिग पुत्री दिमान, गुड्डो पुत्री दिमान, रविता नाबालिग पुत्री दिमान, रामरतीबाई बेवा दिमान
11	386	निजी	सिंचित	0.268	राकेशसिंह पुत्र प्रतापसिंह, रामकृष्ण पुत्र प्रतापसिंह
12	387/1	निजी	सिंचित	0.146	राजेन्द्रसिंह पुत्र कमोदसिंह
13	387/2/1	निजी	सिंचित	0.1	राकेशसिंह पुत्र प्रतापसिंह, रामकृष्ण पुत्र प्रतापसिंह
14	405	निजी	सिंचित	0.606	गयाप्रसाद पुत्र नाथूराम
15	406	निजी	सिंचित	0.031	गयाप्रसाद पुत्र नाथूराम
16	407	निजी	सिंचित	0.544	गयाप्रसाद पुत्र नाथूराम
17	414	निजी	सिंचित	0.209	नरेशकुमार पुत्र गणेशराम
18	415/1	निजी	सिंचित	0.153	नरेशकुमार पुत्र गणेशराम
19	418	निजी	सिंचित	0.411	महेशकुमार पुत्र गणेशराम

20	420	सरकारी	असिंचित	0.06	शासकीय मध्य प्रदेश शासन
21	440	निजी	सिंचित	0.275	परतापसिंह पुत्र कमोदसिंह
22	441	निजी	सिंचित	0.196	परतापसिंह पुत्र कमोदसिंह
23	442	निजी	सिंचित	0.506	राधेश्याम पुत्र प्राणसिंह
24	443/2	सरकारी	मध्य प्रदेश शासन	0.07	शासकीय मध्य प्रदेश शासन
25	444/2	सरकारी	मध्य प्रदेश शासन	0.045	शासकीय मध्य प्रदेश शासन
26	445/2	सरकारी	मध्य प्रदेश शासन	0.025	शासकीय मध्य प्रदेश शासन
27	624	निजी	सिंचित	0.044	परवतसिंह पुत्र सोमंतसिंह
गांव का नाम: बिशनपुर					
28	21/14	निजी	सिंचित	0.185	अनारबाई पुत्री सल्ला पत्नी भगोनी
29	569/1	निजी	सिंचित	0.305	दुर्गेश कुमार पुत्र रामस्वरूप
Total				6.129	

[फा. सं. NHAI/VMТ/41010/02/2021/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2025

S.O. 3872(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **3783 Dated: 03/09/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of - 346 in the stretch of land from Km. 75.500 to Km. 77.500, Tehsil-Kurwai in the district of VIDISHA in the state of MADHYA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Raj Express*” and “*Free Press*” both dated 25/09/2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the - 346 in the stretch of land from Km. 75.500 to Km. 77.500, Tehsil-Kurwai in the district of VIDISHA in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: VIDISHA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kurwai					
Village: Rehkalan					
1	19/2	Private	Irrigated	0.015	Balwant Singh S/o Hariram
2	73/2	Private	Irrigated	0.418	Kundan Singh S/o Bhavar Singh
3	73/3	Private	Irrigated	0.514	Harnam Singh S/o Bhamar Singh
4	73/4	Private	Irrigated	0.575	Kalyan Singh S/o Hiralal
5	74/2	Private	Irrigated	0.05	Kundan Singh S/o Bhavar Singh
Village: Mehluva					
6	380	Government	Charagah	0.031	Government of Madhya Pradesh
7	382	Government	Khanti	0.126	Government of Madhya Pradesh
8	383	Government	Road	0.09	Government of Madhya Pradesh
9	384	Government	Khanti	0.11	Government of Madhya Pradesh

10	385/1	Private	Irrigated	0.021	Raju S/o Diman, Lekhraj minor S/o Diman, Netram minor S/o Diman, Preeti minor D/o Diman, Guddo D/o Diman, Ravita minor D/o Diman, Ramratibai widow of Diman
11	386	Private	Irrigated	0.268	Rakesh Singh S/o Pratap Singh, Ramakrishna S/o Pratap Singh
12	387/1	Private	Irrigated	0.146	Rajendra Singh S/o Kamod Singh
13	387/2/1	Private	Irrigated	0.1	Rakesh Singh S/o Pratap Singh, Ramakrishna S/o Pratap Singh
14	405	Private	Irrigated	0.606	Gaya Prasad S/o Nathuram
15	406	Private	Irrigated	0.031	Gaya Prasad S/o Nathuram
16	407	Private	Irrigated	0.544	Gaya Prasad S/o Nathuram
17	414	Private	Irrigated	0.209	Nareshkumar S/o Ganeshram
18	415/1	Private	Irrigated	0.153	Nareshkumar S/o Ganeshram
19	418	Private	Irrigated	0.411	Maheshkumar S/o Ganeshram
20	420	Government	Unirrigated	0.06	Government of Madhya Pradesh
21	440	Private	Irrigated	0.275	Partapsingh S/o Kamodsingh
22	441	Private	Irrigated	0.196	Partapsingh S/o Kamodsingh
23	442	Private	Irrigated	0.506	Radheshyam S/o Pran Singh
24	443/2	Government	MP Govt.	0.07	Government of Madhya Pradesh
25	444/2	Government	MP Govt.	0.045	Government of Madhya Pradesh
26	445/2	Government	MP Govt.	0.025	Government of Madhya Pradesh
27	624	Private	Irrigated	0.044	Parvatsingh S/o Somantsingh
Village: Bishanpur					
28	21/14	Private	Irrigated	0.185	Anarbai D/o Salla W/o Bhagoni
29	569/1	Private	Irrigated	0.305	Durgesh Kumar S/o Ramswarup
Total				6.129	

[F. No. NHAI/VMT/41010/02/2021/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director